


बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक : 10 अक्टूबर, 2017

संख्या-1/एल0-07/2002-सा0प्र0- 12990 /श्री के0 के0 पाठक, भा0प्र0से0 (बी एच:90), प्रधान सचिव-सह- खान आयुक्त, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- अपर सदस्य, राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना/ अपर विभागीय जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना /प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, पटना /निदेशक, खान एवं भूतत्व, बिहार, पटना) द्वारा जे0एफ0के0 स्कूल, हॉवर्ड विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका में 'क्रिएटिंग कॅलैबरेटिव सॅलूशन इनोवेशनस् इन गर्वनेंस', विषय पर आयोजित अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिनांक-21.10.2017 से 27.10.2017 तक भाग लिये जाने से संबंधित तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपरान्त श्री पाठक द्वारा निजी खर्च पर अमेरिका प्रवास हेतु दिनांक-28.10.2017 से 01.11.2017 तक की संबंधित अनुपस्थिति अवधि में उनके पद/प्रभार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था निम्नवत की जाती है :-

| क्र. | प्रासंगिक वैकल्पिक व्यवस्था से संबंधित पद | पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम जो प्रासंगिक अनुपस्थिति अवधि में स्तंभ 'ब' के पद के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे |
|------|--|---|
| अ | ब | स |
| 1 | प्रधान सचिव-सह- खान आयुक्त, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- अपर सदस्य, राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना/ अपर विभागीय जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना /प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, पटना /निदेशक, खान एवं भूतत्व, बिहार, पटना) | श्री अतुल प्रसाद, भा0प्र0से0 (87), प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना |


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


10.10.17
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक:-1/एल0-07/2002-सा0प्र0- 12990 /पटना-15, दिनांक: 10 अक्टूबर, 2017

प्रतिलिपि:-उप सचिव, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशित करने के अनुरोध के साथ प्रेषित/महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/ मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/ संबंधित सभी पदाधिकारी /संबंधित सभी विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशाखा-1 एवं 6), बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।


10.10.17
(कन्हैया लाल साह)
सरकार के अवर सचिव ।